30/9/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। बावजूद तामिल अनु0 रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली में बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम किशोरपुरा के खाता सं0 27, 49 व 51 की खातेदारी में प्रार्थी के दादा का नाम शैतानसिंह पुत्र नरपत सिंह गलत दर्ज है। जबकि प्रार्थी के दादा का सही नाम रोतान सिंह पुत्र नरपत सिंह है। जमाबंदी संवत 2027–2030 तक जमाबंदी में सही नाम रोतान सिंही दर्ज था जिसे राजस्व कार्मिकों ने लापरवाहीपूर्वक आगे की जमाबंदियों मे शैतान सिंह गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत 2027–30, मृतक खातेदार रोतान सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र, विघुत बिल रोतान सिंह, शपथ पत्र स्वयं का व शपथ पत्र गुलाब सिंह पुत्र बिरजु सिंह, स्वयं का मतदाता पहचान पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत डुंगा की नांगल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी के दादा का नाम रोतान सिंह अंकित है। तहसीलदार पाटन की रिपोर्ट दिनांक 18.07.22 द्वारा भी दुरूस्ती किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र दुरूस्ती स्वीकार किया जाना उचित है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे

जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के दादा का नाम शैतानसिंह पुत्र नरपत सिंह गलत दर्ज है। जबकि सहीं प्रविष्टी रोतान सिंह पुत्र नरपत सिंह की पुष्टि जमाबंदी संवत 2027–30, मृतक खातेदार रोतान सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र, विघुत बिल रोतान सिंह, शपथ पत्र स्वयं का व शपथ पत्र गुलाब सिंह पुत्र बिरजु सिंह, स्वयं का मतदाता पहचान पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत डुंगा की नांगल का प्रमाण पत्र तहसीलदार पाटन की रिपोर्ट दिनांक 18.07.22 से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

प्रा0 पत्र0 198/2022
निर्णय दिनांक 30.09.2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैः–

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
किशोरपुरा प.म. डुंगा की नांगल	खाता सं0 27, 49 व 51	शैतानसिंह पुत्र नरपत सिंह	रोतान सिंह पुत्र नरपत सिंह

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।
निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)